



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-18042026-271895
CG-MH-E-18042026-271895

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 277]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 16, 2026/चैत्र 26, 1948

No. 277]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 16, 2026/CHAITRA 26, 1948

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 16 अप्रैल, 2026

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

[आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2026

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2026/303.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (खक) एवं खंड (ग) तथा धारा 12 की उप-धारा (1) एवं उप-धारा (1ख) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2026 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 में,-

I. विनियम 10(ग) के तीसरे परंतुक में, शब्दों “दो लाख” के स्थान पर शब्द “एक हजार” आ जाएँगे।

II. विनियम 29 में,

क. उप-विनियम (7) में, शब्दों तथा चिह्नों “परिसमापन (लिक्विडेशन) की अवधि के भीतर, आस्तियों का समापन किया जायेगा, और आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधि या आनुकल्पिक निवेश निधि की स्कीम में विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) को प्रोद्भूत आगम सभी दायित्व चुकाने के पश्चात् उनमें वितरित की जायेंगी” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “लिक्विडेशन (परिसमापन) की अवधि के भीतर, संपत्तियों आदि (असेट्स) की बिक्री की जाएगी (को लिक्विडेट किया जाएगा), और बिक्री से जो पैसा आएगा उसमें से सभी देनदारियों की चुकौती करने के बाद उसे ए.आई.एफ. (आनुकल्पिक निवेश निधि) या ए.आई.एफ. की स्कीम के निवेशकों में बाँट दिया जाएगा, हालाँकि इस संबंध में बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली शर्तें भी पूरी करनी होंगी” आ जाएँगे।

ख. उप-विनियम (10) के बाद और उप-विनियम (11) से पहले, निम्नलिखित नया उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(10क) ए.आई.एफ. को एक इनऑपरेटिव फंड के रूप में वर्गीकृत किया जा सकेगा, उसी प्रकार जैसा बोर्ड समय-समय पर बताए और उन्हीं शर्तों के तहत जो बोर्ड समय-समय पर निर्धारित करे।”

अमित प्रधान, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./46/2026-27]

टिप्पणी:

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 (अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/04/11262) 21 मई, 2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, और जो अंतिम बार 19 नवम्बर, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2025, अधिसूचना फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/274, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 16th April, 2026

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS)
(AMENDMENT) REGULATIONS, 2026**

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2026/303.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 read with sub-section (1) of Section 11, clause (ba) and clause (c) of sub-section (2) of Section 11 and sub-section (1) and (1B) of Section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, namely, –

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2026.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, –

- I. In the third proviso to regulation 10(c), the words “two lakh” shall be substituted with the words “one thousand”.
- II. In regulation 29,
 - a. in sub-regulation (7), after the words “satisfying all liabilities”, the words and symbol “, subject to conditions as may be specified by the Board from time to time” shall be inserted.
 - b. after sub-regulation (10) and before sub-regulation (11), the following new sub-regulation shall be inserted, namely, -

“(10A) An Alternative Investment Fund may be tagged as an inoperative fund, in such manner and subject to conditions as may be specified by the Board from time to time.”

AMIT PRADHAN, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./46/2026-27]

Note:

The Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 was published in the Gazette of India on May 21, 2012 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2012-13/04/11262 and was last amended on November 19, 2025 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Third Amendment) Regulations, 2025 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/274.